



(School Code. - 11608)

# AIS

A CBSE Affiliated 10+2 Co-ed.School , Affiliation No.1731113

Kh.-526/14 Ganatpura Opp.Khushi Enclave,Block-A, Mansarovar Ext.

Jaipur-302020 # 7230010067, 9549450333

web.:www.aisjaipur.com, e-mail:ais.mnsr@gmail.com

To,  
Joint Secretary(Affiliation)/DS(Aff.)/AS(Aff.),  
New Delhi

Date: 10/02/2023

**Ref:** Compliance of Warning Letter dated 23/11/2022 (SS-02921-2223).

**Subject:** Reply and fresh affiliation letter submission.

Respected Sir/Ma'am,

With the reference of above cited compliance letter, we are agreed and bounded to do the things as per your instructions, details are as follows:

1. Sections will not be more than 20.
2. The school has taken consolidate affiliation from DEO-I, Jaipur as per your direction to take fresh affiliation (**Letter enclosed and uploaded on school website**).
3. School will not remove anything from public mandatory disclosures i.e. NOC, Land Certificate, Fire NOC Certificate etc. and the documents will get renew time to time.
4. Proper and continuous training of IT skills has been provided.
5. The school will keep renewing all the mandatory documents from time to time.
6. We will not remove inspection videography link or anything that are uploaded on mandatory public disclosures of the school website.

Mandatory documents are renewed and are live on school website under mandatory public disclosures.

Thanks, and Regards

Secretary / Manager  
(AIS)

Khasra No. 14, Ganatpura  
Jaipur, Mansarovar Ext. Jaipur

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर

ब्लॉक नं. 3, प्रथम तल, डा.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग ओटीएस पुलिया के पास जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर 0141-2704293

E-Mail deosec.jaipur1@yahoo.com

### —:कार्यालय-आदेश:-


गैर सरकारी ए.आई.एस. स्कूल खसरा नं. 14, गणपतपुरा, सांगानेर, नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर विस्तार, जयपुर का एवं संस्था का नाम बार-बार परिवर्तन किये जाने के कारण सीबीएआई के पत्र दिनांक 23.11.2022 के द्वारा मान्यता/कमोन्नति के एफआई आदेश चाहे जाने पर संस्था सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय द्वारा प्रस्तुत कमोन्नति/मान्यता आदेशों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर प्रथम, जयपुर के आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/जय-1/ले-5/1106-15/2002 दिनांक 27.08.2002 के द्वारा क्रम संख्या 2 पर अंकितानुसार संस्था इन्द्रा पब्लिक स्कूल संस्था, ए-49 बोयेटावाला, बैनाड, जयपुर द्वारा संचालित श्री चौधरी विद्यापीठ सैकण्डरी स्कूल, भांकरोटा, जयपुर को कक्षा-10 हेतु एवं आदेश क्रमांक जिशिअ/मा/जय/प्रथम/लेखा-5/फा-मान्यता/125/07 दिनांक 21.06.07 के क्रम संख्या 11 पर अंकितानुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर (कला संकाय) की कमोन्नति स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-2-3/भ.प./श्री चौधरी विद्यापीठ/09 दिनांक 10.07.09 के द्वारा विद्यालय का नाम एवं पता गोल्डन फ्यूचर उच्च माध्यमिक विद्यालय, 310-312, शिव शक्ति विहार, बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर किये जाने की स्वीकृति दी गई थी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-2-3/भ.प./गोल्डन फ्यूचर उमावि/168/12 दिनांक 05.08.2012 के द्वारा विद्यालय का नाम एवं पता ए0आई0एस0, खसरा न0 14, गणपतपुरा, सांगानेर, नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर विस्तार, जयपुर किये जाने की स्वीकृति दी गई थी। इसके पश्चात् कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-2-3/प्र.अ./एआईएस/278/16 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा विद्यालय एआईएस, खसरा न0 14, गणपतपुरा, सांगानेर, नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर विस्तार, जयपुर के प्रबन्धन का अंतरण इन्द्रा पब्लिक स्कूल संस्था ए-49 बोयेटावाला, बैनाड रोड, झोटवाडा जयपुर से सनराईज बाल शिक्षा समिति, 192 कृष्णा नगर पत्रकार कॉलोनी रोड, मानसरोवर, जयपुर में किये जाने की स्वीकृति दी गई थी।

अतः उक्त आदेशों के अनुसार उक्त उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालय का वर्तमान नाम एआईएस, खसरा न0 14, गणपतपुरा, सांगानेर, नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर विस्तार, जयपुर है। जो कि संस्था सनराईज बाल शिक्षा समिति, 192 कृष्णा नगर पत्रकार कॉलोनी रोड, मानसरोवर, जयपुर के प्रबन्धन में संचालित है।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

क्रमांक:जिशिअ/मु0/मा0/जय/लेखा-5/फा-मान्यता /2023/48  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- श्रीमान् वरिष्ठ उपशासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
- 2- श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
- 3- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान-अजमेर।
- 4- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
- 5- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...../संबंधित संस्था.....
- 6- नोटिस बोर्ड।
- 7- रक्षित पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),  
माध्यमिक जयपुर

दिनांक 07.02.2023

  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),  
माध्यमिक जयपुर